न्यायालय अति० जिला कलक्टर नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी का नाम — अनिल कुमार (R.A.S)

अपील सं 5/2024

उनवान

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी तहसील नीमकाथाना जिला - नीमकाथाना

-अपीलान्ट-

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

-रेस्पो०-

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार उदयपुरवाटी दि० 25-10-2023 बाबत नोटिस धारा 91 L.R.Act प्रकरण सं 127/23 उनवानी सरकार बनाम हनुमानप्रसाद

उपस्थित :- श्री दर्शन सिंह सैनी एड० -अपीलान्ट-

निर्णय दिनांक 15-7-2023

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मणकसास तहसील उदयपुरवाटी द्वारा गलत व अस्पष्ट रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 को अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम की पेश की कि अपीलान्ट ने राजस्व ग्राम मणकसास स्थित भूमि ख० नं० 407 कुल रकबा 0.55 है० किस्म बंजड़ में से

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 71.89 वर्गमीटर भूमि पर ठेका शराब की दुकान व परचून की दुकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 20-10-2023 की तारीख पेशी नियत की। जिस पर अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहने पर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 25-10-2023 नियत की। प्रकरण का दिनांक 25-10-2023 को ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर दिये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। बिना पैमाईश किए निर्माण को अतिक्रमण मानने मे भारी कानूनी भूल की है। भूमि मुतदाविया पर आबादी बसी हुई है। आबादी भूमि बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रकरण श्रवण करने का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने राज० सरकार द्वारा निर्धारित 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए विवादित निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। विवादित निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित स्थल का मौका निरीक्षण नहीं किया। विद्युत सम्बंध जारी किया हुआ है। अपीलान्ट को कोई जानकारी एक पक्षीय निर्णय की नहीं हो सकी।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर — तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 25-10-2023 उनवाली सरकार बनाम हनुमानप्रसाद अन्तर्गत धारा 91 L.R. Act प्रकरण सं 127/23 अपास्त फरमाया जावे।

अपील [illegible] पेश होने पर अपील अपीलान्ट पेश [illegible] अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर [illegible] को तलब किया गया एवं प्रकरण से सम्बंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

प्रकरण से सम्बंधित मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया एवं बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्ट ने बताया कि पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप चौक के गलत रिपोर्ट पेश कि गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एक पक्षीय व विधि-विरुद्ध पारित किया है। मौके पर अपीलान्ट ने विद्युत कनेक्शन ले रखा है। मौके पर आबादी बसी हुई है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मौका भी नहीं देखा गया है। आबादी बसी हुई होने के कारण कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्ट स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 25.10.23 उनवान सरकार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 25.10.23 उनवान सरकार बनाम हनुमानप्रसाद धारा 91 L.R. Act प्रकरण सं. 127/23 अपास्त फरमाया जावें।

अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

इसी अनुसार अपील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि ख०नं० 407 किस्म बंजड-2 कुल रकबा 0.55 है० में से रकबा 71.69 वर्ग मीटर में मौके पर दुकान ठेका शराब व परचून की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है तथा रिपोर्ट पर जो नजरी नक्शा [illegible] है उसमें जहाँ-अतिक्रमण कर रखा [illegible] रंग स्याही से चिन्हित किया गया है एवं इसी आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो विधि पूर्वक सही है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान) ★

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट अतिक्रमी पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा जो राजकीय
भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका उसे कोई अधिकार
नहीं है। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व मूल रिकार्ड के आधार
पर अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण साबित होता है
अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो
कि पालना करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट
को सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। पारित निर्णय में
कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। इस आधार पर अधिनस्थ
न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसके
किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही
होता है। उपरोक्त सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट
सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर
अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज कि
जाती है। तथा प्रकरण सं 127/2023 उनवानी सरकार बनाम
हनुमान प्रसाद में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक
13.10.2023 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।
निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर
जारी हो। जि.प्र.। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested